NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 313 /NCRES/ 19

दिनांक 30.12.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

विषयः— सी.एम.एल.आर. वर्कशाप झांसी में रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ न दिया जाना।

सन्दर्भः— NCRES का पत्र संख्या 230/NCRES/19 दिनांक 26.08.2019

महोदय,

अवगत कराना है कि सी.एम.एल.आर. वर्कशाप झांसी में कार्यरत कर्मचारियों का कैडर दिनांक 01.12.2018 को क्लोज किया जा चुका है किन्तु कर्मचारियों के न तो खाली पद भरे गये है एवं न ही उन्हे अभी तक कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ दिया गया है।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या PC-III/2018/CPC/1 दिनांक 30.09.2016 RBE No. 116/2016 के अनुसार वरि. टेक्नीशियन 26%, टेक्नीशियन ग्रेड–I, 51%, टेक्नीशियन ग्रेड–II 8% व टेक्नीशियन ग्रेड–III 15% होना चाहिये किन्तु NCRES के प्रतिनिधियों द्वारा बार–बार अभ्यावेदन व वार्तालाप के पश्चात भी अभी तक रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ उन्हे नही दिया गया जिससे सी.एम.एल.आर. के कर्मचारियों में असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है।

NCRES के वर्कशाप शाखा द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा बार–बार उठाने पर CWM/JHS द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग के सम्बन्ध में मुख्यालय से दिशा निर्देश हेतु दिनांक 26.03.2019 व 06.11.2019 को पत्र भेजा गया व महाप्रबन्धक महोदय के झांसी आगमन पर NCRES के मण्डल अध्यक्ष व मण्डल सचिव ने भी दिनांक 05.11.2019 को मिलकर उन्हे समस्या से अवगत कराया लेकिन CMLR के कर्मचारियों को अभी तक रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नही मिला।

NCRES ने भी अपने पत्र संख्या 230/NCRES/19 दिनांक 26.08.2019 द्वारा व व्यक्तिगत रूप से मिलकर रिस्ट्रक्चरिंग के मुद्दे पर आपसे वार्ता किया जिसपर आप द्वारा पैरेन्ट कैडर में रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ प्राप्त करने वाले जूनियर कर्मचारियों की सूचना मांगी गयी थी, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के आदेश के परिपेक्ष्य में व संलग्न सूची का अवलोकन करते हुये सी.एम.एल.आर. में कार्यरत कर्मचारियों को रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करें जिससे व्याप्त असंतोष व उत्तेजना को दूर किया जा सके। कृपया कृत कार्यवाही से NCRES को भी अवगत कराया जाय।

संलग्नक - यथावत

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री